2025/334

फर्द अहकाम

(नियम 15)

6.6.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

महावीर बनाम केसराराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 226 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।	
19.5.2025	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर पेशी की प्रार्थना की। प्रतिवादी को पेशी में लिया गया। बकुलाए फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी का लिखने जरिये वकील राजेश कुमार उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया जिसे दाखिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 6.6.2025 को पेश हो।	अ.नं. केसराराम अ.नं. सन्तोष अ.नं. हनुमान
6.6.2025	बकुलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपबन्ध रिकार्ड आदि के आधार पर वाद की डिक्री किया जाता है। डिक्री विवरण सहित लिखित अलग से लिखा जाकर दाखिल फाईल किया जावे। [illegible] नम्बर से अंकित की जाकर वाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	सत्यनारायण सहायक कलक्टर रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:10:02 IST
Reason: SelfAttested